

कार्यालय-जनपद न्यायाधीश, बस्ती।

संख्या: 48 / 2019 नजारत- दिनांक: बस्ती: 04 मई, 2019

निविदा सूचना

माननीय उच्च न्यायालय के पत्र सं० 8084/एडमिन.(बी-6) सेक्शन: दिनांकित: 22.04.2019 पर पारित माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दि० 25.04.2019 के अनुपालन में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, बस्ती में 02 अदद फोटो कापियर्स मशीन (**Canon Digital Copier Modal IR2525W alongwith duplex and DADF back to back coping facility speed 25 copy per minute**) कय हेतु इच्छुक पंजीकृत फर्मों से निविदा आमन्त्रित की जाती है। निविदा फार्म दिनांक: **04.05.2019** से दिनांक: **20.05.2019** तक किसी भी कार्य दिवस में मु० 200/- नकद जमा करके कार्यालय-केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, बस्ती से प्राप्त कर दिनांक: **20.05.2019** तक मु० 2000/-अर्नेस्ट मनी के साथ सीधे अथवा पंजीकृत डाक से प्रेषित किया जा सकता है। प्राप्त सभी निविदा दिनांक: **24.05.2019** को अधोहस्ताक्षरी के विश्राम कक्ष में अपरान्ह 11:30 बजे निविदादात की उपस्थिति में खोली जायेगी। इस सम्बन्ध में निविदादाता द्वारा निम्न शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा:-

01. निविदा खोले जाने की नियत तिथि एवं समय पर यदि कोई निविदादाता उपस्थित नहीं रहता है तो भी निविदा खोलने की कार्यवाही बाधित नहीं होगी, सम्पन्न कर दी जायेगी।
02. इस सम्बन्ध में किसी का भी निविदा स्वीकृत करने, अस्वीकृत करने अथवा बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, बस्ती को होगा।
03. स्वीकृत निविदा के आपूर्तिकर्ता को प्रतिभू धनराशि के रूप में कुल मु० 10,000.00 जमा करना होगा, जो आपूर्ति किये गये फोटो कापियर्स मशीन का कार्य संतोषजनक रहने की स्थिति में नियमानुसार वापस किया जायेगा।
04. कतिपय कारणों से मूल्य में वृद्धि होने पर भी निविदा में अनुमोदित दर पर ही फोटो कापियर्स मशीन की आपूर्ति करना होगा।
05. निविदा स्वीकृत होने पर फर्म को फोटो कापियर्स मशीन की आपूर्ति, आपूर्ति आदेश प्राप्त होने पर ही करना होगा।

(अब्दुल कैयूम)

पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
अध्यक्ष, कय समिति,
जनपद न्यायालय, बस्ती।

इस निविदा सूचना को माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ सादर प्रस्तुत किया जाय।

(अब्दुल कैयूम)

पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
अध्यक्ष, कय समिति,
जनपद न्यायालय, बस्ती।

आदेश

प्रतिलिपि, किसी हिन्दी दैनिक राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित किया जाए। बिल प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान देय होगा तथा इस निविदा सूचना की प्रतियां विस्तृत प्रचार प्रसार हेतु जनपद न्यायालय, बस्ती के समस्त नोटिस बोर्डों एवं जिलाधिकारी, बस्ती, पुलिस अधीक्षक, बस्ती, विकास भवन, बस्ती, जिला सूचना कार्यालय, बस्ती, जिला सेवायोजन कार्यालय, बस्ती रेलवे स्टेशन, रोडवेज, प्रधान डाकघर आदि समस्त राजकीय कार्यालयों के नोटिस बोर्डों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा कराई जाए।

जनपद न्यायाधीश,
बस्ती।
District Judge
BASTI